ORDER SHEET Can-mock 87 12017

THE COURT – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद खात्मा प्रकरण/अपराध कमांक :- 20/17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं., थाना :- मौ

. Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
8/07/2017	राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। थाना मौ की ओर से आरक्षक कमांक : 513 पवन ने थाना मौ के अपराध कमांक 20/17 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. में मय फरियादी दीपक सहित उपस्थित होकर उक्त अपराध कमांक में एफ. आर स्वीकृत किये जाने हेतु केस डायरी प्रस्तुत की। क्रिक्स क्यारे के कथन लेखबद्ध किये गये। दीपक गुर्जर के लेखबद्ध किये गये कथन एवं केस डायरी के अवलोकन से अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध थाना मौ में अपराध कमांक :— 20/17 अन्तर्गत धारा :— 379 भा.द.सं. के अधीन घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराया जाना दर्शित होता है, परंतु अज्ञात अभियुक्त का नाम, पता—ठिकाना मालूम न होने से, भविष्य में अभियुक्त के मिलने की संभावना क्षीण प्रतीत होती है। इस कारण से खात्मा के रूप में अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया है। अतः समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये थाना मौ द्वारा अपराध कमांक : 20/17 का अंतिम प्रतिवेदन/खात्मा कमांक :— 09/17 स्वीकार किया जाता है। केस डायरी थाना मौ को भविष्य में कोई साक्ष्य प्राप्त होने पर शेष विवेचना के लिए वापस कर पावती ली जाये। केस डायरी के साथ प्रस्तुत केस डायरी के समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति इस पत्रावली के साथ संलग्न कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित की जाये।	Deepak Som class